ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018

भाग- एक

1 प्रस्तावनाः-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधानः

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्री राजू	01-04-17 से 31-03-18

सचिवः

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति माया देवी	01-04-17 से 31-03-18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	43.12

2	8	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष।	0.07
3	9	पंचायत द्वारा जल आपूर्ति योजना के संचालन हेतु आय से अधिक व्यय	0.76
4	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डार रजिस्टरों/ माप पुस्तिका में इन्द्राज न करना	0.56
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.56

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कार्यालय ग्राम पंचायत जाहू द्वारा क्रमांक 48/18 दिनांक 03-10-18 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की पंचायत का अंकेक्षण अवधि/दिनांक 31-03-17 तक विभाग द्वारा किया जा चुका है व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि०प्र० के ज्ञापन संख्या: फिन(एल०ए०) एच(2) सी(15) (14)314/2017-खण्ड-1-6429-6430 दिनांक 04-10-2108 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री श्री राम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-10-2018 से 05-10-2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2017-18	09/2017	09/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5,400 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से “निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009” को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-99 दिनांक 05/10/2018 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को के०सी०सी०बैंक जाहू के माँग ड्राफ्ट संख्या: 264273 दिनांक 09-10-2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2017-18	389009	275598	664607	310554	354053

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज के बैंक खातों में

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2017-18	2730155.78	4131011.65	6861166.78	2548805	4312361.78

अन्तिम शेषों का विवरण:-

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या:	राशि (₹)
1	KCCB JAHU	GCB- A	50063432185	354004.00
2	KCCB JAHU	GCB-B	20123016309	238435.44
3	KCCB JAHU	IAY	50059200443	1955.00
4	KCCB JAHU	RAY	50059200465	955.00
5	PNB JAHU	14th	2222000109040475	4071016.34
	TOTAL BALANCE			**4666365.78**
	CASH IN HAND			49.00

G.TOTAL	**4666414.78**

5 बैंक समाधान विवरणी:

स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	354053.00
अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	4312361
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**4666414**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**4666365.78**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष	49.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**4666414.78**
अंतर की राशि	**00**

5.1 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 में रोकड़ बही बनाने संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। पंचायत द्वारा तैयार संधारित अभिलेख व रजिस्टरों में कुछ ओवर राइटिंग की गई थी, जबकि उक्त नियम प्रावधानानुसार अधिलेखन और मिटाना सर्वथा निषिद्ध था। नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख लिखी जानी अपेक्षित थी जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा वह व्यय प्राधिकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन नियम प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बहियों का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 0 5-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 द्वारा उत्तर दिया कि "हि० प्र० पंचायती राज { वित्त, बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 6(4) व 7(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुपालना कर आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इनका निर्माण तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 व 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाव हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाव न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते

तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

6 निवेश:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹43.12 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक अनुदान ₹43,12,362 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत जाहू द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार ₹43,12,362 को व्यय कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.07 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख/अंकेक्षण के दौरान प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृह कर एवं मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹7100 (₹2,100 + ₹5,000) की राशि शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जाहू को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "ग्राम पंचायत की राजस्व वसूली ₹7100 करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली

प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) गृह कर

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2017-18	500	28400	28900	26800	2100

(2) मोबाइल टावर शुल्कः-

YEAR	**OPENING BALANCE**	**DEMAND**	**Total**	**RECEIVED**	**BALANCE**
2017-18 No. of Towers 02 Outstanding Bal. on 01-04-17 is not known		5000.00	5000.00	0.00	5000.00

नोटः - मोबाइल टावरों की इन्स्टालेशन तथा दिनांक 01-04-17 को बकाया राशि संबंधी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध कारवाई गई कि ये टावर किस-2 कंपनी के हैं, किस-2 की भूमि पर, किस-2 तिथि से स्थापित हैं आदि तथ्यों का प्रमाण उचित स्त्रोत से/(भूमि मालिकों से) एकत्रित करते हुए तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी अपेक्षित है।

9 पंचायत द्वारा जल आपूर्ति योजना के संचालन हेतु आय से अधिक ₹0.76 लाख का व्यय

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा जल आपूर्ति योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे संबन्धित अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में कुल ₹187500 की आय हुई थी जब कि पंचायत ने जल आपूर्ति योजना के संचालन में वर्ष 2017-18 में कुल ₹263835 का व्यय किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में जल आपूर्ति योजना के संचालन में आय से ₹76335 का अधिक व्यय किया गया था जो कि आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में जल आपूर्ति योजना का संचालन दक्षतापूर्ण व प्रभावशाली ढंग से करने हेतु आवश्यक कारगर पग उठाना सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यय आय से अधिक न हो।

10 क्रय की गई ₹0.56 लाख की सामग्री का भण्डार रजिस्टरों/ माप पुस्तिका में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 से 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के चयनित मास के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹56,098 की सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और न ही नियम 72(2) की अनुपालना के

समर्थन में कोई रिटर्न/संबन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त जांच में यह भी पाया गया कि कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय सामग्रियों को स्टॉक में नहीं लिया जाता है। मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग/खपत की जाँच नहीं हो सकी। इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा तैयार व प्रस्तुत अभिलेख स्पष्ट व स्वत: अंतर्विष्ट नहीं था।

वाउचर नं० (Own GCB-A	**दिनांक**	**राशि**	**विवरण**
8	12-06-17	8620	विभिन्न रजिस्टरों का क्रय
9	15-06-17	19446	जल आपूर्ति योजना जाहू-II की मुरम्मत
10	16-06-17	5250	जल आपूर्ति योजना जाहू-I की मुरम्मत
24	25-08-17	16177	जल आपूर्ति योजना जाहू की मुरम्मत
25	25-08-17	6605	जल आपूर्ति योजना जाहू की मुरम्मत
	कुल योग	**₹56098**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जाहू को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "कार्यालय व्यय से संबन्धित क्रय को स्टोर में दर्ज कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: पंचायत/ विभागीय स्तर पर आवश्यक विस्तृत जांच उपरांत इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.56 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

अंकेक्षण में व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें (निविदायें, आपूर्ति आदेश,इंडेंट इत्यादि) प्रावधित है।

उक्त **पैरा-10** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹56,098** के स्टॉक /स्टोर का क्रय हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5), 69 एवं 70 के प्रावधानों के अनुसार न करके एवं कोटेशन्स/निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया।

स्टोर/ स्टॉक का क्रय उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा व्यय वाउचरों पर संबन्धित स्टॉक/स्टोर रजिस्टर का नाम, पेज संख्या/क्रम संख्या की सत्यापित

entry दर्शाते हुये सम्पूर्ण अभिलेख का संबन्धित रजिस्टरों एवं माप पुस्तिकाओं से क्रास संदर्भ स्थापित करना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 बिल/ वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन न हो पाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के अनुसार प्रत्येक संदाय को, लेखों के उचित वर्गीकरण, पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने बिल वाउचर द्वारा समर्थित किए जाने का प्रावधान है। जहां दावाकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है वहाँ यथास्थिति ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा उचित प्ररूप में ,व्यय उपगत करते हुए, पृथक बिल तैयार किया जाएगा और दावाकर्ता का बिल, इसके साथ उप-वाउचर के रूप में संलग्न किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों में क्रय/किराय पर ली गई सामग्री एवं सामान की ढुलाई इत्यादि हेतु चार्ज दरों की उपयुक्तता का आकलन दूरी, मात्रा, आकार, प्रकार, परिमाप, मेक/मॉडल इत्यादि विशिष्टताओं के अभाव में नहीं हो पाया। इस त्रुटि के कारण पंचायत द्वारा किए व्ययों की सही व पूर्ण सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती, जिसके चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत समुचित उत्तर न देकर अंकेक्षण आपत्ति को ही लिख दिया है। अत: अंकेक्षण अवधि से संबन्धित सभी बिल/वाउचरों के तहत क्रय सभी सामग्रियों हेतु चार्ज दरों को आवश्यक विवरणों सहित पूर्णत: न्यायसंगत ठहराया जाए अन्यथा जांच उपरांत बिल /वाउचरों में आवश्यक विवरणों एवं विशिष्टताओं के अभाव में क्रय हेतु खर्च की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना/तकनीकी स्वीकृति बिना ही व्यय करना:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की तकनीकी स्वीकृति मांगे जाने पर संबन्धित तकनीकी सहायक ने बताया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अतिरिक्त अन्य शीर्षों के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार नहीं किए जाते हैं और न ही इनकी तकनीकी स्वीकृति ली जाती है। पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

14 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार प्रारूप पर बजट तैयार कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

15 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो मगर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ बिना भुगतान आदेशों के ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर कर प्राप्ति आदेश लगाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड किए बिना किए गए सभी भुगतानों हेतु सभी बिल/वाउचरों पर नियमानुसार संयुक्त रूप में भुगतान आदेश रिकार्ड किये जाएँ एवं अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार अदायगी आदेश रिकार्ड करने उपरांत ही कोई भी संदाय/भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

16 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो

कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता | अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के अन्तर्गत कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

17 बिल रजिस्टर का तैयार न करना:–

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार बिलों के लिए सभी दावे प्ररूप 13 में बनाये जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं, जिससे बिल विशेष की प्राप्ति उपरांत पंचायत द्वारा उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, का पता नहीं चलता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्तिथि स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि "हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार प्रत्येक बिल प्रारूप 13 पर प्रविष्ट करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्रारूप 13 में तैयार बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

18 उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 102(6) की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।"अत: उक्त आश्वासनानुसार उपस्तिथि नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

19 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार परीक्षण जांच संचालित करने एवं सकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यो हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यदपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के

नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यो के निरीक्षण की अवस्था के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि " माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय-11 के अनुसार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

20 मैंटेनेंस ऑफ अकाउंटस : –

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 के अनुसार पंचायत सचिव का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि सभी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की ओर से धन प्राप्त करते हैं, ऐसी रीति से उचित लेखे बनाएँ कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट हों। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपतियों के मध्यनजर लेखे तथा समर्थित अभिलेख और सही ढंग से रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तुत अभिलेखों की स्थिति से वर्तमान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि "उक्त नियम की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।" अत: भविष्य में लेखे ऐसी रीति से बनाएँ कि ब्यौरे साफ, स्पष्ट और स्वत: अंतर्विष्ट/पारदर्शी हों। अधिलेखन,कटिंग व फ्लुइड के प्रयोग से बचें तथा यदि अभिलेख में कोई शुद्धि करनी पड़ती है तो हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(4) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना सुनिश्चित करें।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31,72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ अपना पक्ष रखने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल

के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के तहत उत्तर दिया कि “अंकेक्षण अधियाचना में वर्णित नियमानुसार रजिस्टरों को संधारित कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।“ अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर 4 13 (5)		
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर 7 34		
	हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		
3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज		
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34		
4	बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर		
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33		, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन 11	, 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर	25	72 (1)
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों		
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)		(ख)
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (		ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी		
	आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)		
11	लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।		
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।		
13.	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का		
	उचित रख-रखाव न करना।		102
14	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(		v)
15	वर्गीकृत सार 8 29 (4)		

22 प्रत्यक्ष-सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्द्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :100 दिनांक 05-10-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05-10-2018 को ई-मेल के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक 49/2018 के अन्तर्गत उत्तर दिया कि “ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक संबंधी अभिलेख व स्टोर/स्टॉक का सत्यापन नियमानुसार कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय लेखा परीक्षा को अवगत

करवा दिया जाएगा।" अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपति विवरणिका:–** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष:–** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार एवं कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)71/2018 खण्ड–1–8396–8399 दिनांक 21.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरन्ज, तहसील भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 पिन–176048 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046